

**राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग**

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क-4/2006

जयपुर, दिनांक : 27-07-2021

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-31 के अन्तर्गत राजस्थान तहसीलदार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आवश्यक रूप से पूर्णतया अस्थाई आधार (तदर्थ) नियुक्ति पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्ग	जन्म दिनांक
1.	हरि सिंह शेखावत		10.06.65
2.	जगदीश सिंह आशिया		13.08.85
3.	दिनेश शर्मा		09.01.76
4.	बृजेश गुप्ता		28.12.75
5.	रामकुमार टाडा		05.05.67
6.	दयानंद रूयल		20.09.71
7.	रमेशचन्द्र बहडिया		14.02.82
8.	सुरेन्द्र बी. पाटीदार		19.01.72
9.	सुभाष चन्द्र		09.07.67
10.	बलबीर सिंह		09.02.76
11.	शिप्रा जैन		25.11.82
12.	मुनेश कुमारी		05.01.79
13.	कनक जैन		25.05.80
14.	भावना सिंह		21.06.79
15.	स्वाती गुप्ता		06.03.82
16.	सीमा खेतान		27.01.69
17.	सुमन शर्मा		19.01.82
18.	विनिता स्वामी		07.07.83
19.	देवी सिंह	एससी	01.02.75
20.	सुरेश कुमार हरसोलिया	एससी	17.09.78
21.	पंकज बड़गूजर	एससी	13.10.84
22.	बिजेन्द्र सिंह		01.07.71
23.	बंशीधर योगी		23.05.66
24.	श्रीकान्त व्यास		22.07.67

यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है :-

1. उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति को कोई अधिकार प्रदत्त किये दी जा रही है।
2. जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, उस पद से कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल आगामी नियमित पदोन्नति से राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।

उपरोक्त तदर्थ रूप से पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं। तदनुपरान्त ही उक्त अधिकारी वर्तमान पद से कार्यमुक्त होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/विशिष्ट सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव